

प्रवेश विवरणिका (PROSPECTUS)

सत्र : 2023 – 2024

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
श्रीनगर गढ़वाल एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड
विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध



बालगंगा महाविद्यालय सेन्दुल (केमर)

पोस्ट – सिल्यारा, वाया – घनसाली

जिला – टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

पिन कोड – 249155

मो0 9690122495 9568196828

ई-मेल : principalbalganga@rediffmail.com

Website : www.bpgcsendul.in

मूल्य—सत्तहर रुपये मात्र

विषय—सूची

क्र0 सं0

1. परिचय
2. प्रवेश नियम
3. शैक्षणिक क्रिया—कलाप
4. शुल्क विवरण
5. परीक्षा केन्द्र
6. छात्रावास
7. पुस्तकालय – वाचनालय
8. भूमि – भवन निर्माण
9. बालगंगा महाविद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची
10. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक—कर्मचारियों की सूची

नोट —(1) प्रवेश आवेदन—पत्र विवरणिका के अंत में संलग्न हैं, इसे भरकर महाविद्यालय में जमा करें।

(2) अनुसूचित जाति/अनु0जन जाति के छात्र—छात्राओं की छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाते हैं।

(3) आरक्षित वर्ग के छात्र—छात्राएं अपने प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से बनाकर प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें तभी प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र बनाएं, तभी उक्त लाभ प्राप्त होगा।

(4) माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश के अनुपालन में छात्र—छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रत्येक विषय में मेरिट के आधार पर प्रवेश अनुमन्य होगा। छात्र—छात्रा को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र भरकर जमा करना अनिवार्य है।

(5) उत्तराखण्ड शासन द्वारा छात्र—छात्राओं हेतु ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) शैक्षणिक एवं परीक्षा कलेण्डर का अनुपालन शासन/वि0वि0 द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में किया जायेगा।

2. प्रवेश नियम

1. परिचय

सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु बालगंगा महाविद्यालय की स्थापना क्षेत्रीय बुद्धिजीवियों एवं समाजसेवियों द्वारा 5 अगस्त 1991 को सेन्दुल गांव में की गई, जिसका उदघाटन हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर-गढ़वाल के तत्कालीन कुलपति प्रो० एस० पी० नौटियाल जी के कर कमलों द्वारा हुआ। सेन्दुल गांव विकास खण्ड भिलंगना एवं जाखणीधार के केन्द्र स्थल में स्थित है, जो तहसील मुख्यालय घनसाली से मात्र चार कि०मी० दूर है।

बालगंगा महाविद्यालय की मातृ संस्था बालगंगा शिक्षा प्रसार समिति है, जो विगत छः दशकों से क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में संलग्न है। संस्था की स्थापना प्रसिद्ध समाज सेवी एवं विद्वान स्वर्गीय डॉ० वाचस्पति मैठाणी द्वारा की गई। महाविद्यालय के उदघाटन के पश्चात् महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर शिक्षण कार्य अनवरत रूप से चल रहा है, तथा सैकड़ों छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, चित्रकला, मानव विज्ञान एवं इतिहास के अतिरिक्त विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित सहित कुल पन्द्रह विषयों की स्नातक स्तर पर अध्ययन की सुविधा है। उक्त समस्त विषय उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त एवं हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल/श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड वि०वि० बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त है।

1. प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पहले एवं विषयों का चयन करते समय अभ्यर्थी प्रवेश नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें।
2. महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रवेश समिति का गठन किया गया है, जो छात्र-छात्राओं के उत्तीर्ण अंकों के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर छात्र-छात्राओं का साक्षात्कार लेकर छात्रों को प्रवेश की संस्तुति प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रायें प्रवेश आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करें। महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात् प्रवेश हेतु योग्य छात्र-छात्राओं की सूची सूचना पट पर अंकित कर दी जायेगी। सूची अंकित करने के पश्चात् निर्धारित तिथि तक शुल्क महाविद्यालय के केश काउण्टर पर जमा कर शुल्क की रसीद प्राप्त कर लें। प्रवेश आवेदन पत्र विवरणिका पर संलग्न है।
4. प्रवेश आवेदन पर विवरणिका में उल्लिखित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां किसी राजपत्रित अधिकारी/स्वतः प्रमाणित करा कर संलग्न करें। साथ ही यथास्थान पासपोर्ट आकार की फोटो भी चिपकायें, जो स्वतः प्रमाणित हो।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय अर्थात् प्रवेश शुल्क जमा करते समय परिचय पत्र भी प्राप्त कर लें। महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र सदैव साथ में रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर परिचय पत्र का उपयोग किया जा सके। प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही परिचय पत्र निर्गत होंगे। परिचय पत्र के आधार पर ही पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत होंगी। बिना परिचय पत्र के न तो पुस्तकें निर्गत की जायेगी और न ही छात्रसंघ चुनाव में भाग लेने अथवा मतदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। विषय परिवर्तन में अन्तिम निर्णय प्रवेश समिति का होगा।
6. महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक बार विषय चयन करने के उपरान्त बार-बार विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. स्नातक स्तर पर छात्र-छात्रायें सी०बी०सी०एस० पाठ्यक्रम के आधार पर ही विषयों का चयन कर सकते हैं, तथा हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी में से केवल दो ही साहित्यिक विषयों का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कला संकाय में दो प्रयोगात्मक विषय एक साथ चयन करने की अनुमति भी नहीं दी जायेगी। भूगोल एवं चित्रकला विषयों का चयन वे ही छात्र-छात्रायें कर सकते हैं जिनकी इण्टरमीडिएट में उक्त विषय रहे हों। इण्टरमीडिएट

- विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर पर केवल भूगोल विषय चयन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर पर चित्रकला विषय लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. भूगोल एवं चित्रकला तथा अर्थशास्त्र एवं चित्रकला विषय साथ-साथ नहीं लिए जा सकेंगे।
 9. भूगोल एवं चित्रकला विषयों में प्रवेश मैरिट के आधार पर ही होगा तथा प्रत्येक विषय में साठ से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 10. महाविद्यालय में कला वर्ग में प्रति विषय 120 एवं विज्ञान वर्ग में प्रति विषय 60 छात्र-छात्राओं की प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।
 11. स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट या समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 12. इण्टरमीडिएट में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को कला वर्ग एवं 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को स्नातक विज्ञान वर्ग में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में पांच 5% अंको की छूट होगी, परन्तु 39.99 प्रतिशत अथवा 44.99 प्रतिशत अंको को क्रमशः 40 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।
 13. महाविद्यालय को बिना कारण दिये प्रवेश न देने एवं निरस्त करने का अधिकार होगा।
 14. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
 15. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क एक बार जमा हो जाने पर लौटाया नहीं जायेगा। इसका कड़ाई से पालन किया जायेगा।
 16. छात्र-छात्राओं द्वारा चयनित विषय संवर्ग विहीन होने पर महाविद्यालय को अधिकार है कि प्रवेश रद्द किया जा सकता है, अतः छात्र-छात्राएं संवर्ग युक्त (Subject Combination) विषय का चयन ही करें।
 17. छात्र-छात्राये महाविद्यालय में अपनी मानसिक शक्ति को समृद्ध बनाने एवं अनुशासित अध्ययन हेतु प्रवेश लेता है। अतः आवश्यक है कि वे अपनी कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहें। प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर छात्र-छात्राओं को परीक्षा में बैठने से वंचित करने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय को है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति का शपथ पत्र छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से भर कर जमा करना होगा।
 18. परीक्षा में एक बार अनुत्तीर्ण/ड्रापर छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

19. संसदीय कार्यकलापों से छात्र-छात्राओं को अवगत कराने तथा छात्रहितों की रक्षा के लिए छात्रसंघ पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जाता है। छात्रसंघ का गठन शासनादेश संख्या – 2311/सत्तर/1-5-(12)11/94 दिनांक 21 जनवरी 2000 तथा शासनादेश संख्या – 548/उच्चशिक्षा/2002-03(168) 2001 तदनुसार डिग्री प्लान/3699-3746/2002-03 दिनांक 18 दिसंबर 2002 के अनुपालन में छात्र संघ चुनाव सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर तक पूर्ण कर दिया जायेगा तथा शपथ ग्रहण समारोह निर्वाचन सम्पन्न होने के बाद एक सप्ताह के अन्तर्गत कराया जायेगा। छात्रसंघ चुनाव में केवल अध्यक्ष, महामंत्री तथा संकाय प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सांस्कृतिक सचिव तथा क्रीड़ा सचिव का चुनाव अप्रत्यक्ष अथवा मनोनयन द्वारा किए जाने का प्राविधान है।
20. अनुत्तीर्ण, ड्रापर अथवा अनुशासनहीनता के आरोपी छात्र-छात्राओं को छात्र संघ चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
21. छात्र संघ चुनाव 17 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आयु गणना 01 जुलाई 2022 होगी। स्नातक एक विषय में प्रवेश लेने वाले और भूतपूर्व छात्र-छात्रा चुनाव में प्रत्याशी नहीं होंगे किंतु मतदान के अधिकारी होंगे। छात्रसंघ चुनाव लड़ने एवं निर्वाचन के पश्चात् छात्रसंघ पदाधिकारियों के व्यय हेतु महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
22. वार्षिकोत्सव, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 फरवरी तक पूर्ण करा लिए जायेंगे।
23. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात एक माह के भीतर (अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार) छात्र-छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र भरना होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक है। परीक्षा आवेदन पत्र प्रवेश शुल्क रसीद दिखाने पर ही निर्गत हो सकेंगे।
24. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिक आश्रित एवं विकलांग छात्र-छात्राये महाविद्यालय में प्रवेश के उपरान्त एक माह के भीतर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरकर महाविद्यालय में जमा करना आवश्यक है। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पर आवश्यक प्रमाण पत्र सलंगन करना जरूरी है। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। 20 सितम्बर के बाद छात्रवृत्ति आवेदन पत्र न तो जमा किये जायेंगे और ना ही उनपर विचार करना संभव होगा। बी0पी0एल0 परिवार की छात्राओं को

- नन्दा-गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान व्यवस्था है। इस हेतु महाविद्यालय के कार्यालय से संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।
25. स्नातक वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को द्वितीय वर्ष में पर्यावरण विज्ञान लेना अनिवार्य है।
 26. राष्ट्रीय सेवायोजना में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को 30 सितम्बर से पूर्व नामांकन पत्र भरकर महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। नामांकन पत्र महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। एन0 एस0 एस0 की 'बी' एवं 'सी' परीक्षा हेतु अलग से परीक्षा आवेदन पर भरे जायेंगे।
 27. जिन छात्र-छात्राओं की गतिविधियां अनुशासन मंडल/ महाविद्यालय प्रशासन की राय के अनुसार अवांछनीय हैं, उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, निकाला जा सकता है, तथा प्रवेश निरस्त भी किया जा सकता है।
 28. महाविद्यालय के नियमों की अनदेखी करने वाले छात्र-छात्राओं के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।
 29. अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 30. संस्थागत छात्र-छात्रायें उपाधि हेतु एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में शामिल होगा। यदि कोई छात्र-छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
 31. विषय बदल कर उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका है।
 32. महाविद्यालय के किसी शिक्षक एवं कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना अनुशासनहीनता समझी जायेगी। महाविद्यालय के किसी शिक्षक-कर्मचारी से शिकायत होने की दशा में प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करें।
 33. महाविद्यालय द्वारा किसी भी शैक्षिक भ्रमण यात्रा आदि के लिए छात्र-छात्राओं को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 34. छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय आते-जाते समय बस चालक, परिचालक एवं यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार न करें। शिकायत पाये जाने पर दोषी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
 35. छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर दैनिक रूप से सूचनाएं/निर्देश देखते रहना चाहिए।
 36. शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु समय-समय पर महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद एवं बौद्धिक विकास प्रतियोगिताओं का

आयोजन कराया जाता है। अतः छात्र-छात्राओं का उक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य है।

37. महाविद्यालय परिसर में आमंत्रित किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर करना, शिक्षक कर्मचारियों के प्रति वचन या क्रिया द्वारा निरादर करना, जाली हस्ताक्षर, जाली कागजात तथा झूठा प्रमाण-पत्र एवं झूठा बयान प्रस्तुत करना, छात्राओं के प्रति अशिष्ट व्यवहार करना या कोई भी ऐसा कार्य जिससे शांति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे, हानि पहुंचे या महाविद्यालय की छवि धूमिल हो, रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य अपराध घोषित किया जा चुका है) तथा कक्षाओं में शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना मुख्य अपराध है।
38. महाविद्यालय के काष्ठोपकरण, प्रयोगशाला उपकरण या महाविद्यालय की किसी अन्य सम्पत्ति के नुकसान करने पर दोषी छात्र-छात्राओं के न पकड़े जाने पर महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से सामूहिक अर्थदण्ड वसूला जायेगा।
39. प्रवेशार्थियों को चेतावनी दी जाती है कि अपने आवेदन पत्र में कोई भी असत्य सूचना न दें और न ही कोई तथ्य छिपाएं। उनके द्वारा प्रस्तुत अंकतालिका और प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/विद्यालयों/ परीक्षा निकायों को सत्यापन हेतु भेजी जा सकती हैं। सत्यापन के उपरान्त यदि कोई प्रमाणपत्र असत्य/जाली पाये जाते हैं तो न केवल प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, जिसका समस्त खर्च छात्र-छात्रा/उसके अभिभावक से लिया जायेगा।
40. उक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर में गुटखा, पान-पराग, धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना, महाविद्यालय के कमरों, दिवारों, कक्षाओं, दरवाजों तथा मेजों आदि पर अनर्गल बातें लिखना उन पर विज्ञापन चिपकाना, संस्था के भवन, बाग व फुलवारी को नुकसान पहुंचाना, महाविद्यालय के आदेशों एवं नियमों को लेने अथवा मानने से इन्कार करना, उनका उल्लंघन करना तथा कक्षाओं में च्यूंगम, पान मसाला आदि चबाना तथा जगह-जगह थूकना आदि मुख्य अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित है। शिक्षण अवधि में प्रांगण में बैडमिन्टन, वॉलिबाल, फुटबाल, क्रिकेट, शतरंज एवं कैरम बोर्ड खेलना निषेध है।
यदि कोई छात्र-छात्रा उक्त मुख्य अपराध करते हुए पकड़ा गया तथा दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
महाविद्यालय में रैगिंग प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्र-छात्रा रैगिंग करते हुए पाया गया तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जायेगा। रैगिंग

रोकथाम हेतु रैगिंग पीडिंत विद्यार्थी महाविद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं, साथ ही यू0जी0सी0 की हेल्पलाइन नम्बर 18001805522 पर सीधे फोन कर शिकायत कर सकते हैं।

ड्रेस कोड – उत्तराखण्ड शासन द्वारा महाविद्यालय में शिक्षा सत्र 2016–17 से छात्र–छात्राओं हेतु ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है ताकि छात्र–छात्राओं में समानता का भाव दृष्टि गोचर हो साथ ही महाविद्यालय में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले छात्र–छात्राओं पर अंकुश लगाया जा सके।

शिक्षा सत्र 2016–17 में महाविद्यालय द्वारा छात्र–छात्राओं एवं छात्र संघ पदाधिकारियों से विचार–विमर्श कर महाविद्यालय हेतु ड्रेस कोड निम्न प्रकार से सुनिश्चित की गई थी। शासन द्वारा जारी निर्देशों तक महाविद्यालय में गत सत्र में तय की गई ड्रेस कोड लागू रहेगी जा निम्न प्रकार है –

(1) **छात्रों हेतु** – नीले रंग की शर्ट एवं काले रंग की पैंट तथा शीतकाल में काले रंग की स्वेटर।

(2) **छात्राओं हेतु** – नीले रंग का कुर्ता एवं सफेद रंग का पाइजामा तथा शीतकाल में काले रंग की स्वेटर।

ड्रेस कोड अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने के एक माह के भीतर ड्रेस कोड अनिवार्य रूप से लागू की जायेगी। सप्ताह में गुरुवार को ड्रेस कोड में छूट रहेगी।

पुस्तकालय से आवंटित पुस्तकों की वापसी – द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम् सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं को परीक्षा प्रारम्भ होने के दस दिन पहले पुस्तकालय से आवंटित पुस्तकें पुस्तकालय में आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। किन्हीं कारणों से जो छात्र–छात्रा पुस्तक जमा नहीं कर सकते उन्हें पुस्तकों के बदले 600.00 (छः सौ) रु0 जमानत के तौर पर पुस्तकालय में जमा करने होंगे, जो पुस्तक जमा करने पर छात्र/छात्रा को वापस लौटा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय प्राभूत धनराशि रु0 60.00 (साठ) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्र–छात्राओं को चेक के माध्यम से लौटाए जाने का प्राविधान है।

विषय चयन सम्बन्धी अनुमति (Subject Combination)

विज्ञान संकाय – विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर निम्न विषय एक साथ चयन करन की अनुमति है –

भौतिक संवर्ग)	गणित	रसायन (गणित संवर्ग)
वनस्पति	जन्तु विज्ञान	रसायन (प्राणि विज्ञान संवर्ग)
वनस्पति	जन्तु विज्ञान	मानव विज्ञान (प्राणि विज्ञान संवर्ग)

कला संकाय –

1. कला संकाय में स्नातक स्तर पर भाषाओं का अध्ययन करने के इच्छुक छात्र–छात्राएं हिन्दी, अंग्रेजी, एवं संस्कृत में से किन्हीं दो भाषाओं को ही चयनित विषय बना सकेंगे।

2. कला संकाय में स्नातक स्तर पर प्रायोगिक विषयों का अध्ययन करने के इच्छुक छात्र–छात्राएं अधिकतम दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकते हैं, परन्तु निम्न विषय समूह वर्जित होंगे –

1. मानव विज्ञान के साथ चित्रकला
2. चित्रकला, संस्कृत के साथ मानव विज्ञान
3. चित्रकला के साथ अर्थशास्त्र
4. चित्रकला तथा इतिहास के साथ भूगोल

एन0ई0पी0

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल चम्बा टि0ग0 द्वारा शिक्षा सत्र 2023–23 से स्नातक स्तर पर एन0ई0पी0 (नई शिक्षा नीति) लागू होने से प्रति सेमेस्टर विषय चयन सूची संलग्न की जा रही है। संलग्न सूची के अनुसार ही विषय चयन किए जायेंगे

NEP (New Education Policy for under Graduate Students.

1. For B.A. Programme (The Following scheme will be implemented for B.A. Students:

2. For B.Sc. Programme

The Following Scheme will be implemented for B.Sc. Students.

3 – शैक्षणिक क्रिया-कलाप

छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम सम्पादित कराये जाते हैं, जिसमें छात्रसंघ गठन, वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, रेड रिबन क्लब, शैक्षणिक भ्रमण यात्रा, तथा राष्ट्रीय सेवा योजना आदि प्रमुख हैं।

छात्र-छात्राओं को उक्त सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास करना चाहिए। महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग स्क्वाड तथा महिला उत्पीड़न निरोधी सेल का भी गठन किया गया है।

छात्र संघ

महाविद्यालय में छात्रों की प्रतिनिधि निकाय के रूप में छात्रसंघ है, जिसका गठन प्रतिवर्ष छात्रसंघ के संविधान एवं इस हेतु समय-समय पर बने नियमों के अन्तर्गत होता है। कॉलेज प्रचार्य छात्रसंघ के संरक्षक हैं।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह के अन्तर्गत संस्था स्तर पर छात्र संघ चुनाव कराना आवश्यक होगा। स्नातक कक्षाओं तक 17 से 22 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी पदाधिकारी निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने हेतु दो बार चुनाव लड़ सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर करवाया जाना अनिवार्य होगा।

आचार संहिता, तय सीमा एवं समस्त व्यवस्थाएं लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होंगी, साथ ही छात्र संघ, आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) – राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) की एक इकाई में 100 छात्र/छात्राएं (स्वयं सेवी) होते हैं तथा प्रत्येक इकाई का एक कार्यक्रम अधिकारी (महाविद्यालय का शिक्षक/शिक्षिका) होता है, जो कि अपनी इकाई की गतिविधियों का संचालन करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में छात्र/छात्रा को लगातार दो वर्ष पंजीकृत रहना आवश्यक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है –

(1) नियमित कार्यक्रम (प्रत्येक वर्ष 120 घंटे, दोनों वर्षों में कुल 240 घण्टे)

(2) सात दिवसीय रात-दिन का विशेष शिविर कार्यक्रम।

वर्ष 2022-23 में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल 01 (एक) इकाई श्रीदेव सुमन उत्तरखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल द्वारा आवंटित है, जिसके अंतर्गत 100 स्वयंसेवियों का नामांकन किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 3192XXIV(9) रा.से.यो. /76(06) दिनांक 19 मार्च 2008 के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई है -

1. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में निरन्तर 2 वर्ष की सहभागिता तथा दिन-रात के एक शिविर में भाग लेने पर स्वयं सेवी को "A" प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में निरन्तर 2 वर्ष की सहभागिता तथा दिन-रात के दो विशेष शिविर कार्यक्रमों में भाग लेने पर स्वयं सेवी को "A+" प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

3. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम वर्ष के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित "B" प्रमाण-पत्र परीक्षा आयोजित की जायेगी। "B" प्रमाण-पत्र परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने अर्थात् उत्तीर्ण होने तथा नियमित कार्यक्रम में 2 वर्ष पश्चात् 240 घण्टे की सहभागिता पूर्ण होने पर ही स्वयं सेवियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वितीय वर्ष में पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित "C" प्रमाण पत्र परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने अर्थात् उत्तीर्ण होने तथा "B" प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्वयं सेवियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर "C" प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(i) राष्ट्रीय सेवा योजना के के नियमित कार्यक्रम में लगातार 2 वर्षों में 240 घण्टे की सहभागिता।

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत उपस्थिति

(iii) राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित रात व दिन के कम से कम एक विशेष शिविर में सक्रिय सहभागिता।

(iv) राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी का कार्य व्यवहार उत्तम हो तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 312/XXIV/(1)2008-11/2005 दिनांक 5 जून 2008 के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण - पत्र धारकों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर/अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार अधिमान (वैटेज) अंक प्रदान किये जायेंगे।

(1) एन0एस0ए0 'A' अथावा 'A+' प्रमाण-पत्र धारक 02 अंक

(2) एन0एस0ए0 'B' प्रमाण-पत्र धारक 03 अंक

(3) एन0एस0ए0 'C' प्रमाण-पत्र धारक 05 अंक

शैक्षणिक कलैण्डर शिक्षा सत्र 2023-2024

महाविद्यालय प्रवेश समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार शिक्षा सत्र 2021-22 का शैक्षिक कलैण्डर निम्नवत् है। यह शैक्षिक कलैण्डर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक के निर्देशानुसार तैयार की गई है।

1. प्रवेश आवेदन पत्रों की बिक्री प्रारम्भ - 10 जुलाई 2023

2. शिक्षा सत्र प्रारम्भ - 01 अगस्त 2023

3. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 15 अगस्त 2023

4. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि - 30 अगस्त 2023

5. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 16 अगस्त 2023

अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अंकतालिका निर्गत तिथि से

होने की 20 दिनों

के अन्तर्गत।

6. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि - 30 अगस्त 2023

7. पठन-पाठन प्रारम्भ होने की तिथि - 01 सितम्बर 2023

वार्षिक अवकाश तथा कार्य दिवस का विवरण

संस्थागत छात्र वार्षिक परीक्षा 2023–2024

1. विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा आवेदन पत्र भेजने की तिथि – विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
2. महाविद्यालय से विश्वविद्यालय को परीक्षा आवेदन पत्र/नामांकन एवं प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – ----“-----
3. संस्थागत छात्रों की लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् बिलम्ब शुल्क 500 रु0 सहित परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि – विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
4. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को बिलम्ब शुल्क सहित परीक्षा आवेदन पत्र प्रेषित करने की अन्तिम तिथि – विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
5. वार्षिक परीक्षा – विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार

परीक्षा कार्यक्रम

1. प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि – विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
2. अध्यापन कार्य की अंतिम तिथि –
3. संस्थागत वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि – ---“---
4. परीक्षा समाप्त होने की तिथि – ----“-----
5. शीतकालीन अवकाश – ----“-----
6. ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने की तिथि – ----“-----

1. सम्पूर्ण दिवस	–	365 दिन
2. रविवार अवकाश	–	52 दिन
3. राजकीय अवकाश	–	30 दिन
4. शीतकालीन अवकाश	–	15 दिन
5. ग्रीष्मकालीन अवकाश	–	45 दिन
6. विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह	–	01 दिसं 2023
7. सम्पूर्ण कार्य दिवस	–	221 दिन
8. परीक्षा दिवस	–	41 दिन
9. पठन-पाठन दिवस	–	180 दिन

उक्त शैक्षणिक कलैण्डर का कड़ाई से पालन किया जायेगा। संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा कार्यक्रम में विश्वविद्यालय छात्रहित में कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

4. शुल्क विवरण – शिक्षा सत्र 2023–2024 में स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं विज्ञान संकाय में प्रवेश के समय निम्न प्रकार से शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है, तभी प्रवेश दिया जायेगा। छात्र-छात्रायें शुल्क राशि कैश काउन्टर पर जमा कर शुल्क की रसीद अवश्य प्राप्त करें। छात्र-छात्राओं द्वारा शुल्क रसीद दिखाने पर ही विभिन्न विषयों में प्रवेश अनुमन्य होगा। शुल्क एक बार जमा करने पर वापस नहीं लौटाया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा शुल्क रसीद मांगे जाने पर, रसीद दिखानी जरूरी है, अन्यथा यह समझा जायेगा कि छात्र-छात्रा ने शुल्क जमा नहीं किया है। शुल्क रसीद दिखाने पर ही परीक्षा आवेदन पत्र निर्गत किया जायेगा। पुस्तकालय से निर्गत होने वाली पुस्तकों हेतु प्रत्येक छात्र-छात्रा को रु0 छः सौ पुस्तकालय विभाग में जमा करने होंगे जो परीक्षा समाप्ति पर पुस्तकों की सुरक्षित वापसी पर धनराशि वापस लौटा दी जायेगी महाविद्यालय छोड़ने पर पुस्तकें वापस न करने पर उक्त धनराशि से वह पुस्तकें क्रय की जायेगी जो छात्र-छात्रा द्वारा वापस नहीं के गई। यह धनराशि महाविद्यालय की शुल्क राशि के अतिरिक्त होगी।

शुल्क विवरण (कला एवं विज्ञान संकाय)

निम्न सभी शुल्क शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तनीय होंगे –

(1) प्रवेश/पुनः प्रवेश शुल्क	–	रु0 8.00
(2) शिक्षण शुल्क	रु0 12.00 प्रतिमाह, कुल रु0 – 144.00	
(छात्राओं को शासन द्वारा शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है)		
(3) मंहगाई शुल्क	–	रु0 20.00 प्रतिमाह, कुल 240.00
(4) क्रीड़ा शुल्क	–	240.00 रु0
(5) पत्रिका शुल्क	–	40.00 रु0
(6) चिकित्सा शुल्क	–	12.00 रु0
(7) परिचय पत्र शुल्क	–	20.00 रु0
(8) निर्धन छात्र शुल्क	–	20.00 रु0
(9) परिषद समारोह शुल्क–	10.00 रु0	
(10) सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	–	30.00 रु0
(11) पुस्तकालय शुल्क	–	120.00 रु0
(12) विद्युत एवं जल शुल्क	–	75.00 रु0
(13) विकास शुल्क	–	100.00 रु0
(14) रीडिंग रूम शुल्क	–	36.00 रु0
(15) बिल्लिंग एवं फर्नीचर	–	50.00 रु0
(16) गृह परीक्षा शुल्क	–	5.00 रु0
(17) पंजीकरण शुल्क	–	5.00 रु0
(18) प्रयोगात्मक शुल्क	–	240 रु0
(प्रयोगात्मक विषयों हेतु प्रतिमाह रु0 20.00 की दर से)		
(19) छात्र संघ शुल्क	–	50.00 रु0
(20) होट एण्ड कोल्ड शुल्क	–	20.00 रु0
(21) पुस्तकालय प्राभूत राशि	–	60.00 रु0
पुस्तकालय प्राभूत धनराशि रु0 60/- छात्र-छात्राएं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् बैंक के माध्यम से वापस ले जा सकते हैं।		
(22) प्रबंधकीय शुल्क/महाविद्यालय विकास शुल्क	–	1200.00 रु0 (वार्षिक)।
100.00 रु0 प्रतिमाह की दर से वर्ष में एक बार प्रवेश के समय 1200.00 लिया जायेगा।		

शुल्क सारांश कला एवं विज्ञान संकाय (शैक्षणिक वर्ष 2023–24)

स्नातक प्रथम वर्ष	स्नातक द्वितीय वर्ष	स्नातक तृतीय वर्ष	विवरण
छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
2285.00	2141.00	2225.00	2081.00
2525.00	2381.00	2465.00	2321.00

- नोट – (1) एक से अधिक प्रयोगात्मक विषय पर रु0 240.00 अतिरिक्त प्रति प्रयोगात्मक विषय के देय होंगे।
- (2) राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क बढ़ाये जाने पर बढ़ा हुआ शुल्क अतिरिक्त देना होगा। शुल्क एक बार जमा होने पर लौटाया नहीं जायेगा।
- (3) शुल्क प्रातः 10.00 बजेसे अपराह्न 1.00 बजे तक महाविद्यालय कैश काउण्टर पर जमा किया जायेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को प्रवेश आवेदन पत्र (जो कि महाविद्यालय में सत्तहर रु0 देकर सुलभ होगा) को स्पष्ट रूप से पूर्णतः भरकर महाविद्यालय में जमा करना होगा। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्रों की फोटो स्टेट प्रतियां स्वतः प्रमाणित कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जायेगा। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को विगत परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका राजपत्रित अधिकारी/स्वतः प्रमाणित कराकर संलग्न करनी होगी, जबकि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को निम्न प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने आवश्यक हैं –
1. हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची।
 2. हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट।
 3. इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची।
 4. अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0 सी0) की मूल प्रति।
 5. अन्तिम शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

जिन छात्र-छात्राओं ने इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है, वे किसी राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर जमा कर सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश के

समय अपने मूल प्रमाण पत्र सहित प्रवेश समिति के सम्मुख स्वयं उपस्थित हों तभी प्रवेश अनुमन्य होगा।

छात्र-छात्रायें प्रवेश सम्बन्धी अन्य किसी जानकारी हेतु महाविद्यालय कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

परीक्षा शुल्क – महाविद्यालय की प्रत्येक कक्षाओं हेतु प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा है, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने पर ही परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षार्थियों द्वारा ऑन लाईन भरे जायेंगे। परीक्षार्थी आवेदन पत्र ऑन लाईन पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय में जमा करायें तथा अग्रसारण शुल्क जमा कर परीक्षा आवेदन की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। संस्थागत छात्र-छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र तभी निर्गत करवाया जायेगा, जब वे शिक्षण शुल्क रसीद दिखाएंगे।

छात्रावास – महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित डॉ० भीमराव अम्बेडकर राजकीय छात्रावास उपलब्ध है, जिसमें 50 छात्रों को आवासीय व्यवस्था की सुविधा है।

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् छात्रावास अधीक्षक से प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त कर ही छात्रावास में आवासीय सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

छात्रावास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास के साथ ही बिजली, पानी की सुविधा है। भोजन बनाने हेतु विभाग द्वारा रसोइया की व्यवस्था है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के अलावा प्रतिमाह अतिरिक्त छात्रवृत्ति की सुविधा भी शासन से अनुमन्य है। शिक्षा सत्र 2015-16 से शासन ने छात्रावास में रहने वाले उक्त जाति के छात्रों हेतु निःशुल्क भोजन की सुविधा भी प्रदान कर दी है।

विगत चौदह वर्षों से उक्त जाति के छात्र छात्रावास में निःशुल्क आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। छात्रावास में प्रवेश पाने वाले छात्रों को छात्रावास अधीक्षक के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

पुस्तकालय-वाचनालय – महाविद्यालय में सुसज्जित एवं सुविकसित पुस्तकालय एवं वाचनालय है। पुस्तकालय में संदर्भ ग्रंथों के अन्तर्गत पर्याप्त

पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। जिससे यहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र के आधार पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। पुस्तकालय से एक समय में तीन पुस्तकें ही उपलब्ध कराई जायेगी जो छात्र-छात्राओं की आवश्यकता एवं पुस्तकालय में उपलब्धता के आधार पर ही पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा आवंटित की जायेगी। वर्तमान में महाविद्यालय में तेरह हजार से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं।

वाचनालय में अनेक दैनिक समाचार पत्रों के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की पत्रिकाएं एवं साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। महाविद्यालय का प्रयास है कि इस पुस्तकालय-वाचनालय को केन्द्रीय पुस्तकालय के साथ-साथ सार्वजनिक पुस्तकालय का भी स्वरूप प्रदान किया जाय, चूंकि किसी भी शिक्षण संस्था का पुस्तकालय उस संस्था का प्राण होता है।

भौगोलिक-भ्रमण – विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार बी० ए० तृतीय वर्ष के भूगोल विषय के छात्र-छात्राओं को क्षेत्रीय भौगोलिक भ्रमण जरूरी है। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित अंक परीक्षक द्वारा दिए जाने का प्राविधान है। अतः महाविद्यालय में बी० ए० तृतीय वर्ष भूगोल के छात्र-छात्राओं हेतु भौगोलिक भ्रमण अति आवश्यक है।

भूमि/भवन निर्माण – महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु सेन्दुल ग्रामवासियों द्वारा 58 नाली भूमि दान दी गई है, जिसका पंजीकरण महाविद्यालय के नाम हो चुका है। दान में प्राप्त भूमि के अलावा लगभग 100 नाली ग्राम पंचायत की भूमि पंजीकृत भूमि के आसपास है, जिसे प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अद्यावधिक कला संकाय भवन, विज्ञान संकाय भवन, प्रशासनिक भवन एवं कम्प्यूटर भवन सहित पांच भवन निर्मित हैं, जिनमें तीस से अधिक कक्षा-कक्ष उपलब्ध हैं। उक्त समस्त भवन क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महाविद्यालय प्रशासन ने अपने संसाधनों से निर्मित किए हैं। उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत पन्द्रह लाख की धनराशि से भवन निर्माण किया गया है, जो बनकर तैयार हो चुका है।

महाविद्यालय की उपलब्धियां – महाविद्यालय से स्नातक स्तर पर चित्रकला विषय से उत्तीर्ण लगभग 300 से अधिक छात्र-छात्राओं का वर्ष 2004 से वर्तमान एल०टी० वेतनक्रम में शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त हुई है जो स्वयं में बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त अनेक छात्र-छात्राएं शासकीय सेवाओं में चयनित होकर महाविद्यालय की उपलब्धि के प्रतीक हैं। महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला है। टिहरी बांध के कारण उच्चशिक्षा का केन्द्र बादशाहीथोल एवं नई टिहरी दूर होने से जन-सामान्य को उच्च शिक्षा सुविधा प्राप्त करना दुर्लभ हो गया था जिसकी पूर्ति बालगंगा

महाविद्यालय अपने सीमित संसाधनों से कर रहा है। महाविद्यालय की वर्तमान छात्र संख्या को देखते हुए महाविद्यालय में पेयजल की विकट समस्या थी इस हेतु विश्व बैंक द्वारा पोषित "सेन्दुल ग्राम समूह पेयजल योजना" की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई, इस पेयजल योजना की कुल निर्माण लागत चार करोड़ बारह लाख रुपए है। इस योजना से महाविद्यालय सहित आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतें पेयजल से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना से महाविद्यालय को पेयजल सुलभ हो रहा है। **माननीय क्षेत्रीय सांसद श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह, क्षेत्रीय विधायक श्री शक्तिलाल शाह एवं बालगंगा प्रबन्धकारिणी सदस्यों के प्रयास से महाविद्यालय में टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत टिहरी श्रीमती सोना सजवाण द्वारा महाविद्यालय में हाईटैक शौचालय का निर्माण करवाया गया है।**

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल द्वारा महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों में निम्न प्रकार से सीटों की स्वीकृति प्राप्त है -

(क) विज्ञान वर्ग	सीट संख्या
(1) भौतिक विज्ञान	— 60
(2) रसायन विज्ञान	— 60
(3) गणित	— 60
(4) जन्तु विज्ञान	— 60
(5) वनस्पति विज्ञान	— 60
(ख) कला वर्ग	सीट संख्या
(1) हिन्दी	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(2) संस्कृत	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(3) अंग्रेजी	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(4) भूगोल	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(5) समाज शास्त्र	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(6) राजनीति विज्ञान	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(7) चित्रकला	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(8) अर्थशास्त्र	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(9) इतिहास	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)
(10) मानव विज्ञान	— 60 + 60 (स्व:वित्त पोषित)

महाविद्यालय प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची

क्र०	पदनाम	पदाधिकारी का नाम	पिता/पति का नाम
1.	अध्यक्ष	श्री बचल सिंह रावत	श्री भरत सिंह रावत
2.	उपाध्यक्ष	श्री बालकृष्ण नौटियाल	श्री सन्त राम नौटियाल
3.	मंत्री	श्री चन्द्र किशोर मैठाणी	श्री पुरुषोत्तम दत्त मैठाणी
4.	उप मंत्री	श्री खुशी राम कुकरेती	श्री पूर्णानन्द कुकरेती
5.	प्रबंधक	श्री प्रशान्त जोशी	श्री चिन्तामणी जोशी
6.	कोषाध्यक्ष	श्री विजय सिंह कुमाई	श्री भट्ट सिंह
7.	सदस्य कार्यका०	श्री लाखी राम तिवारी	श्री चन्द्रमणी तिवारी
8.	---	श्री भजन सिंह भण्डारी	श्री फते सिंह भण्डारी
9.	---	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	श्री पिचपन सिंह रावत
10.	---	श्री प्रेम सिंह चौहान	श्री रूप सिंह चौहान
11.	---	श्री बलिराम उनियाल	श्री पूर्णानन्द उनियाल
12.	---	श्री गिरधर प्रसाद उनियाल	श्री श्रीधर प्रसाद उनियाल
13.	---	श्री पूरण सिंह पंवार	श्री बचन सिंह पंवार
14.	---	श्री लक्ष्मण सिंह	श्री मोर सिंह
15.	---	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	श्री राम सिंह रावत
16.	---	श्री शूरवीर सिंह बिष्ट	श्री जीत सिंह
17.	---	डॉ० करुणापति मैठाणी	श्री वाचस्पति मैठाणी
18.	---	श्री गंगा प्रसाद	श्री देवी दत्त
19.	---	श्री छब्बी राम जोशी	श्री रति राम जोशी
20.	---	श्रीमती कृष्णा गैरोला	श्री कीर्तिराम
21.	---	श्रीमती सुशीला देवी उनियाल	श्री पारेश्वर प्रसाद

महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों की सूची

1. डॉ० विपिन चन्द्र उनियाल	—	प्रभारी प्राचार्य	37. श्री बिजेन्द्र नौटियाल	—	परिचारक
2. डॉ० (श्रीमती) सरिता बहुगुणा	—	विभागाध्यक्षा — संस्कृत	38. श्री सुरजन सिंह खत्री	—	परिचारक
3. डॉ० (श्रीमती) रेखा बहुगुणा	—	विभागाध्यक्षा— समाजशास्त्र	39. श्री हरिकृष्ण मैठाणी	—	परिचारक
4. डॉ० दर्मियान सिंह भण्डारी	—	विभागाध्यक्षा— हिन्दी	40. श्री अरविन्द मैठाणी	—	तृतीय श्रेणी
5. डॉ० (श्रीमती) रीना पुरोहित	—	विभागाध्यक्षा—रसायन विज्ञान	41. श्रीमती प्रीति बसलियाल	—	तृतीय श्रेणी
6. डॉ० (श्रीमती) अर्चना कुनियाल	—	विभागाध्यक्षा—वनस्पति विज्ञान	42. श्रीमती सविता देवी	—	तृतीय श्रेणी
7. डॉ० मुकेश नैथाणी	—	विभागाध्यक्षा — भूगोल	43. श्री सचिन मैठाणी	—	तृतीय श्रेणी
8. डॉ० सुनील रवाण	—	विभागाध्यक्षा — गणित			
9. डॉ० बद्रीश बडोनी	—	विभागाध्यक्षा—भौतिक विज्ञान			
10. डॉ० जयवीर सिंह फर्स्वाण	—	विभागाध्यक्षा — इतिहास			
11. डॉ० कृष्ण चन्द्र सिंह नेगी	—	विभागाध्यक्षा — चित्रकला			
12. डॉ० पुरुषोत्तम नौटियाल	—	विभागाध्यक्षा—राजनीति विज्ञान			
14. डॉ० (श्रीमती) सोना उनियाल	—	विभागाध्यक्षा—मानव विज्ञान			
14. श्री जितेन्द्र डोभाल	—	विभागाध्यक्षा — जन्तु विज्ञान			
15. श्री दिनेश प्रसाद मैठाणी	—	वरिष्ठ सहायक			
16. श्री हीरामणी जोशी	—	सहायक पुस्तकालयाध्यक्षा			
17. श्री बलवन्त सिंह	—	सहायक लेखाकार			
19. श्री गिरीश चन्द्र नौटियाल	—	प्रयोगशाला सहायक भूगोल			
19. श्री साब सिंह महर	—	कनिष्ठ सहायक			
20. श्री रमेश मैठाणी	—	कनिष्ठ सहायक			
21. श्री विरेन्द्रपाल सिंह सजवाण	—	कनिष्ठ सहायक			
22. श्रीमती रमा बहुगुणा	—	कनिष्ठ सहायक पुस्तकालय			
23. श्री राजेश मैठाणी	—	प्रयोगशाला सहायक भूगोल			
24. श्री आशीष भट्ट	—	प्रयोगशाला सहायक विज्ञान			
25. श्री अनिल कंसवाल	—	प्रयोग सहायक वनस्पति विज्ञान			
26. श्री बिरज लाल सैनी	—	प्रयोग सहायक जन्तु विज्ञान			
27. श्री गणेश प्रसाद	—	प्रयोग सहायक रसायन विज्ञान			
28. श्री विरेन्द्र नाथ	—	कनिष्ठ सहायक			
29. श्रीमती संतोषी गैरोला	—	कनिष्ठ सहायक			
30. श्रीमती सुलोचना	—	प्रयोग सहायक मानव विज्ञान			
31. श्री जितेन्द्र सिंह	—	प्रयोग सहायक चित्रकला			
32. श्रीमती सुरुचि नौटियाल	—	कनिष्ठ सहायक			
33. श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी	—	परिचारक			
34. श्री कमलेश्वर प्रसाद मैठाणी	—	परिचारक			
35. श्री नत्थी लाल पैन्थूली	—	रात्रि चौकीदार			
36. श्री हरिदास	—	परिचारक			